निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 80 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए प्रधान कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** के माह 04/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 12/11/2018 से 19/11/2018 तक श्री ए. के. जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय एवं श्री मनोज खंडुरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11/04/2016 से 25/04/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः थराली, ग्वालदम ब्लॉक के पुलो एवं मार्गो का निर्माण एवं रखरखाव ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना		गैर स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015-2016	-	-	316.87	300.23	973.15	949.60		16.64	-	23.55
2016-2017	-	-	373.31	323.99	779.00	672.00		49.32	-	107.00
2017-2018	-	-	447.64	412.62	1197.60	1157.53		35.02	-	40.07
2018-2019	-	-	361.34	229.83	618.05	415.30		--	-	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	SPAR		97.00		
2016-17	SPAR		36.00		
2017-18	SPAR		80.00		

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(iii) इकाई की श्रेणी....'B'....है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.सचिव

2.प्रमुख अभियंता

3.मुख्य अभियंता

4.अधीक्षण अभियंता

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नलगाँव-भटियाना-मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 04/01/16 से 08/01/16, 15/11/16 से 18/11/16, 13/11/17 से 17/11/17 का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 03/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` 16118000 /-

   भाग द्वितीय ` 9986 /-
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 17838310 /-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 139.06 लाख /-(upto 10/2018)

   (ङ) भण्डार ` 766240.75 /-

भाग -2-ब

प्रस्तर :1- maxphalt की फर्जी booking करके, बिना आवश्यकता के एवं वित्तीय नियमो के विपरीत शासकीय धन ₹ 36. 86 लाख का आहरण करना एवं इस आहरित धनराशि को विगत दो वर्ष आठ माह से अवरुद्ध रखना ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–V की कण्डिका 158–162 के अनुसार जब तक धनराशि के भुगतान की आवश्यकता न हो तब तक शासकीय धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए।

खण्ड के अभिलेखों की **नमूना** जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा माह 3/2016 में मै0 भारत पैट्रोलियम को रू0 36.86 लाख का भुगतान मैक्सफाल्ट खरीदने के लिए किया गया जबकि खण्ड मं मैक्सफाल्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष खण्ड में लेखापरीक्षा तिथि (11/2018) तक कोई मैक्सफाल्ट प्राप्त नहीं हुआ था/किया गया था। खण्ड द्वारा भारत पैट्रोलियम से रू0 14.14 लाख माह 9/2016 में वापस प्राप्त किये गये **तथा इस** धनराशि **को** सी0सी0एल0 होने के बाउजूद उसे डी0सी0एल0 के रूप में **लेखा परीक्षा तिथि तक अवरूध रखा हुआ है** एवं **अवशेष** रू0 22.72 लाख (36.86-14.14) **भी लेखा परीक्षा तिथि तक** लगभग 2 वर्ष 8 माह से भारत पैट्रोलियम के पास **अवरुद्ध पड़ा** था।

भारत पैट्रोलियम को बिना मैक्सफाल्ट की आवश्यकता के ही रू0 36.86 लाख का अग्रिम भुगतान किये जाने से स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा मैक्सफाल्ट की **फर्जी** बुकिंग की गई जिसका उद्देश्य केवल शासकीय धन को शासन को समर्पित न करना था एवं उसे लैप्स होने से बचाना था। **लेखा परीक्षा तिथि तक शासन को उक्त धनराशि के बारे में अवगत नहीं कराया गया था एवं उक्त समस्त धनराशि अवरुद्ध पड़ी हुयी थी।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि **तत्कालीन अधिकारियों को maxphalt की आवश्यकता प्रतीत हुयी होगी जिसके कारण उनके द्वारा मैक्स्फाल्ट की booking की गयी होगी । खंड द्वारा आगे बताया की bharat Petrolium से धनराशि वापस पाने हेतु पत्राचार किया गया है तथा कनिषठ अभियंता (स्टोर) को भी निर्देशित किया गया था ।**

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि मार्च 2016 से पहले ही खंड द्वारा बहुत अधिक मात्रा में maxphalt खरीद लिया था जिसमे से वर्तमान तक खंड के आर ऍम आर (विगत कई वर्षो से स्टोर अकाउंट का रख रखाव ना किये जाने के कारण) में अवशेष पड़ा हुया था । मार्च 2016 में maxphalt बुक करवा कर लेखा परीक्षा तिथि तक लगभग 2 वर्ष 8 माह **बीतने तक** भारत पैट्रोलियम **से maxphalt ना लेना एव उससे धनराशि वापस लेने सम्बन्धी कार्यवाही से स्पष्ट है की खंड द्वारा CCL की धनराशि को lapse होने से बचाने के लिए maxphalt की फर्जी booking की गयी।**

अतः **वित्तीय नियमो के विपरीत एवं बिना आवश्यकता के शासकीय धन ₹ 36. 86 का आहरण करना एवं इस आहरित धनराशि को** लगभग 2 वर्ष 8 माह **समय से अवरुद्ध रखने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग–2ब

प्रस्तर 2 :– ₹ 1.67 करोड दो वर्ष आठ माह से भी अधिक समय से. समायोजित न किया जाना।

खण्ड के माह 9/2018 के फार्म–51 की जांच में पाया गया कि माह – मार्च/2016 से रू0 1.67 करोड़ का प्रेषण (Remittance) असमायोजित दशार्या जा रहा था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि रू0 586000.00 भी माह मार्च 2016 से ऋणात्मक रूप में एवं असमायोजित दर्शाया जा रहा था। जांच में यह भी पाया गया कि रू0 586000.00 को रोकड़ बही में भी दर्ज नहीं किया गया था। रू0 1.67 करोड़ जिन्हें काल्पनिक रूप (fictitious amount)में दर्शाया जा रहा था एवं ₹ 586000.00 जिसे ऋणात्मक रूप में दर्शाया जा रहा था विगत 2 वर्ष 8 माह से असमायोजित थे । **साथ ही ये** काल्पनिक धनराशि एवं ऋणात्मक राशि किस मद/कार्य से सम्बन्धित थी यह अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो सका। **इसके अतिरिक्त प्रश्नगत फ़ार्म 51 के भाग दो के विवरणों में ₹ 9986 भी विगत वर्षो से असमायोजित थे ।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया की उक्त धनराशि के समायोजन हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) देहरादून से इस कार्यालय के पत्र संख्या 2222/2ac दिनांक 8/11/2016 द्वारा निर्देश हेतु अनुरोध किया गया था आतिथि तक दिशा निर्देश प्राप्त ना होने के कारण उक्त धनराशि असमायोजित है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विगत दो वर्ष आठ माह से असमायोजित चल रही धनराशि ₹ 16704000 को समायोजित ना किया जाना एवं ₹ 586000 को रोकड़ बही में ना दर्शया जाना एक गंभीर अनियमितता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 3:– स्टोर अभिलेख का लेखा तीन वर्ष से नियमित नहीं किया जाना।

As per the rules of financial handbook Volume VI: -

77. The divisional officer is responsible for the correctness, in all respects, of the original record of cash and stores, receipts and expenditure and for seeing that complete vouchers are obtained. He is also responsible to see that his accounts are regularly posted from day to day and that the accountant carries out his duties regularly and punctually. The relative position of a divisional accountant to the divisional officer in respect of accounts is analogous to that of a sub-divisional officer to a divisional officer in respect of works, and the responsibilities of the latter for the work of the divisional accountant are similar to those which attach to him in respect of the execution of woks in the charge of other subordinates.

B- SYSTEM OF ACCOUNTS

92. The main features of the system of Public Works Accounts are—

(a) The divisional officer is the primary disbursing officer of the division who is permitted to obtain by cheques on the treasury the funds required for all disbursements in connexion with the execution of works. He also collects some of the departmental receipts of the division and pays them into the treasury.

(b) The accounts of these receipts and disbursements (including-the transactions of subordinate official acting on his behalf) are compiled under his supervision by an accountant posted to his office by the Accountant-General and are submitted monthly to the Accountant-General who audits them against sanctions and appropriation of fund and then incorporates them in the accounts of the State. (c) He is further required to maintain clear accounts of all stores received by him and to make these accounts available for audit by the Accountant-General. (d) Under each major-head of expenditure, the charges on each project, work, or sub-work are recorded separately in the accounts of divisional officers. In the case of works of certain classes (See examples cited below), pro forma accounts of all transactions connected therewith are prepared annually by the Accountant-

General and for this purpose, the receipts pertaining to each work of this class are also shown separately in divisional accounts: (i) Irrigation, navigation, embankment and drainage works for which both capital and revenue or only revenue accounts are kept. (ii) Quasi-commercial undertakings, such as self - supporting workshops. (iii) Residential buildings. (e) personal payments to all government servants of the department are made on bills presented at the treasury in accordance with the general rules in volume V of the Hand book applicable to all civil departments and are therefore brought to accounts by the Accountant-General himself from data furnished to him direct by treasury officers.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली के स्टॉक रजिस्टर अभिलेखों के नमूना लेखा–परीक्षा जाच में पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर फॉर्म 12ए की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी मार्च 2017 तक सत्यापित की गई है। अप्रैल 2017 से सितम्बर 2018 तक स्टॉक रजिस्टर फार्म 12ए अद्यतन कर सत्यापित नहीं किया गया। स्टॉक फार्म 12ए माह 3/17 व उस से आगे के इन्द्राज Maxphalt का drum शून्य दर्शाया गया है जबकि Improvement & Damrikaran of Tharali-Dewal-Mundoli Motor Road (Nanda Devi Rajjat) / A.R of Tharali-Dewal-Mundoli Motor Road / Under 13th Finance Commission के R.M.R (JE,Shri Amar Deep) में Maxphalt के 302 Drum जो store Tharali में रखा है एवं श्री अरूण कुमार कोली जे0ई0 के आर0एम0आर0 में Maxphalt का 408 Drum उसी कार्य परदर्शाया गया है **(2/2016)**। एवं Dewal Mundoli Motor Road हेतु 7/2015 तक श्री संतोष पंत, JE के RMR के अनुसार 83 Drum (Maxphalt), Store, PWD, Tharali में रखा हुआ है। उल्लेखनीय है कि उक्त RMR में उपर्वर्णित तिथि के बाद कोई इन्द्राज नहीं है तथा सभी Maxphalt Drum, store, PWD, Tharali में रखे हुए है जबकि स्टोर रजिस्टर में Maxphalt शून्य Drum दर्शाया गया है।

स्टॉक प्राप्ति फार्म–9, स्टॉक issue रजिस्टर फार्म 10 एवं स्टॉक फार्म 11 में 2/2015 के बाद इन्द्राज नहीं है इस प्रकार उक्त स्टाक रजिस्टर फार्म अधयतन नही है।

उक्त से सम्बंधित लेखा–परीक्षा के बिन्दु के विभागीय उत्तर मे बताया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता (स्टोर) द्वारा समय से Stock return नहीं देने के कारण अप्रैल 2017 से सितम्बर 2018 तक का स्टॉकर जिस्टर फार्म 12ए की बंदी में विलम्ब हो रहा है।इस को

पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।स्टोर से सामाग्री को जे0ई0 को निर्गत करने पर उक्त सामाग्री Store account से घट जाती है तथा आर0एम0आर0 में बच जाती है। इस कारण Maxphalt ड्रम स्टोर से आर0एम0आर0 में निर्गत करने के कारण स्टोर में Maxphalt ड्रम शून्य है तथा आर0एम0आर0 में अंकित है। इस खण्ड में कई दूरस्थ होने के कारण आर0एम0आर0 में वर्णित maxphalt ड्रम उक्त मार्गो पर रखने पर चोरी होने का भय रहता है इसलिए आर0एम0आर0 में वर्णित maxphalt ड्रम को स्टोर परिसर में ही रखा गया है। आर0एम0आर0 को अधयतन करने के लिए सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को लगातार निर्देशित किया जाता रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता (स्टोर) द्वारा स्टोर लेखा प्रस्तुत नही करने के कारण 2/2015 के बाद इन्द्राज नही है। स्टोर लेखा प्राप्त होते ही उक्त फार्म को अघयतन कर दिया जायेगा।

विभाग ने लेखा–परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए स्टोर लेखा को पूर्ण करने की कार्यवाही की बात कही है।
इस प्रकार स्टोर अभिलेख का लेखा तीन वर्ष से नियमित नहीं किये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4:- रु0 4.96 लाख की सामग्री का अनियमित एवं अनधिकृत क्रय |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति(प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2017 के नियम 35- इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अधिप्राप्ति (ई - प्रोक्यूरमेंट) - समस्त विभागों में अधिप्राप्ति ई - प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से (क) रु0 ढाई लाख से अधिक की धनराशि की समस्त सामग्रियाँ कराया जाएगा।

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्रांक:- 2334/रोड साइनेज-पौड़ी /2015 दिनांक: 26/09/2015 के अनुसार भविष्य में किसी भी खंड में रिफलैक्टीव रोड साइनेज, डेलीनेटर, कैटाईज आदि-आदि का कोई भी आपूर्ति आदेश बिना मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अनुमोदन के नहीं किया जाएगा। यदि इन आदेशो का उल्लंघन पाया गया तो बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किए अपचारी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाएगी एवं किए गए आपूर्ति आदेश को अनधिकृत मानते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली के आपूर्ति आदेश के नमूना लेखा–परीक्षा जांच में पाया गया कि quotation के आधार पर आदेश पर M/s Raj Enterprises, Almora से Retro Reflective Sign Board दो आपूर्ति आदेश वाया सं0 406/16 एम0जी0 दि0 15.3.18 एवं सं0 461/16 एम0जी0 दि0 20.3.18 द्वारा क्रमशः रु0 2,48,223 एवं रु0 2,48,223 कुल रु0 4,96,446 क्रय किया गया।उक्त क्रय E-procurement के स्थान पर quotation के आधार पर किया गया जबकि उपर्वर्णित दोनो समान मद 05 दिनो के अंतर पर आपूर्ति आदेश दिया गया था एक साथ क्रय न करने के कारण split of sanction हुआ। उक्त प्रश्नगत क्रय हेतु अनुमोदन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी से प्राप्त नहीं की गई।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि Procurement rules 2017 के अनुसार 250000.00 तक की सामाग्री क्रय हेतु e-procurement की आवश्यकता नही है दोनो supply order रु 250000 की सीमा के अन्तर्गत आने के कारण e-procurement की प्रक्रिया नही अपनाई गयी। सामाग्री अलगअलग प्रकार एवं विशिष्टियो की है अतः split of sanction कहना न्याय संगत नहीं है। Delegation of Power 2018 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता को रू0 500000.00 तक के क्रय की शक्ति प्रदान की गई है अत मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी से अनुमोदन नही लिया गया।

लेखा-परीक्षा खंड के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि दोनों आपूर्ति आदेश Retro Reflective Sign Board के थे एवं समान specification एवं दर के थे एवं माह मार्च 2018 में मात्र 05 दिन के अंतर में उक्त आपूर्ति आदेश दिये गए थे। जिससे स्पष्ट है की उपर्वर्णित नियम e-procurement से बचने के लिए एक ही प्रकार की सामग्री दो भागों में बाँटकर quotation के आधार पर क्रय किया गया जो नियम विरुद्ध है तथा उपर्वर्णित कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के आदेश के विपरीत रिफलैक्टीव रोड साइनेज का आपूर्ति आदेश बिना मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अनुमोदन के अनधिकृत क्रय किया गया।

अतः रु0 4.96 लाख के सामग्री का अनियमित एवं अनधिकृत क्रय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है|

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
237/93-94	1	-
65/95-96	1, 2	-
26/97-98	1	-
140/99-2000	1	2
08/2000-01	-	1
45/2001-02	-	1
40/2002-03	**1**	2, 3, 4(a), 4(b)
44/2005-06	1	2
08/2006-07	1	1, 2
14/2007-08	1	2
69/2010-11	1	1, 2
88/2012-13	1	1, 2
59/2014-15	1, 2	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विभाग ने अपने उत्तर में बताया गया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुति कराकर कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखा-परीक्षा, को प्रेषित कर दी जायेगी, अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः Mini advance register & Deposit register

   223/L, 254/L, 248/L, 100/L, 241/L, 228/L, 224/L, 251/L, 222/L, 266/L, 209/L, 247/L, 99/S, 96/S, 244/L

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
(1)	श्री डी. एस. कुटियाल	15/10/11 से 07/06/16 तक।
(2)	श्री जे पी रतुड़ी	08/06/16 से 19/06/16 तक।
(3)	श्री एस के पाण्डे	20/06/16 से 03/08/17 तक।
(4)	श्री विजय कुमार	03/08/17 से अब तक।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।**

(1) श्री अरविंद कुमार	30/12/2013 से 29/07/2016 तक ।
(2) श्री नवनीत चौहान	30/07/16 से अब तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली),** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ उपमहालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2